न्यायालय सहायक कलक्टर (FT), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **62/22 (वाद)**

GCMS No. : 2022/117

1. रतनलाल माता स्व० चांदीबाई (पिता जगदीश जी) जाति खटीक, उम्र वयस्क, निवासी घोसुण्डा, जिला चित्तौडगढ़ (राज०)
2. गोवर्धन लाल माता स्व० चांदीबाई (पिता जगदीश जी) जाति खटीक, उम्र वयस्क, निवासी घोसुण्डा, जिला चित्तौडगढ़ (राज०)
3. विमला माता स्व० चांदीबाई (पिता जगदीश जी) पत्नी लक्ष्मीनारायण जी जाति खटीक, उम्र वयस्क, निवासी घोसुण्डा, हाल भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला चित्तौडगढ़ (राज०)
4. कंकूदेवी पुत्री अम्बालाल जी पत्नी ओमप्रकाश जी जाति खटीक, उम्र वयस्क, निवासी कपासन, जिला चित्तौडगढ़ (राज०)
5. बसन्तीदेवी पुत्री अम्बालाल जी पत्नी सुरेश जी जाति खटीक, उम्र वयस्क, निवासी मातृ कुण्डियां, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज०)
6. रूकमणीदेवी पुत्री अम्बालाल जी पत्नी सुरेश जी जाति खटीक, उम्र वयस्क, निवासी आकोला, हाल फतहनगर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. श्यामुदेवी पुत्री अम्बालाल जी पत्नी गणेश जी जाति खटीक, उम्र वयस्क, निवासी वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)

............वादीगण

बनाम्

1. सम्पतलाल पुत्र अम्बालाल जी जाति खटीक, उम्र वयस्क, निवासी सनवाड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. पटवारी, पटवार हल्का सनवाड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. उप पंजीयक अधिकारी, सनवाड़, तह०मावली, जिला उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री घनश्याम पालीवाल, अधिवक्ता वादी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 15:31:34 IST
Reason: SelfAttested

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 06.01.2026

1. वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सनवाङ, पटवार हल्का सनवाड़, तहसील मावली की आराजी नम्बर 946 रकबा 0.2590 हैक्टेयर भूमि वर्तमान में वादी संख्या 1 से 3 की माता चान्दीबाई पुत्री अम्बालाल खटीक के नाम 11/256 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 11/256 + 33/128 हिस्सा, वादी संख्या 4 से 7 प्रत्येक के नाम 11/256 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अंकित है। खातेदार चान्दीबाई का निधन हो चुका है जिसके वारिसान वादी संख्या 1 से 3 हैं। आराजी नम्बर 935 रकबा 0.0890 हैक्टेयर भूमि वर्तमान में वादी संख्या 1 से 3 की माता चान्दीबाई पुत्री अम्बालाल खटीक के नाम 1/60 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/60 + 1/10 हिस्सा, वादी संख्या 4 से 7 प्रत्येक के नाम 1/60 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अंकित है। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार के नाम अंकित हैं। खातेदार चान्दीबाई का निधन हो चुका है जिसके वारिसान वादी संख्या 1 से 3 हैं। आराजी नम्बर 983 रकबा 0.0324 हैक्टेयर की भूमि वर्तमान में वादी संख्या 1 से 3 की माता चान्दीबाई पुत्री अम्बालाल खटीक के नाम 1/120 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/120 + 1/20 हिस्सा, वादी संख्या 2 से 5 प्रत्येक के नाम 1/120 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अंकित है। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार के नाम अंकित हैं। खातेदार चान्दीबाई का निधन हो चुका है जिसके वारिसान वादी संख्या 1 से 3 हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के परिवार का सजरा निम्नानुसार है —

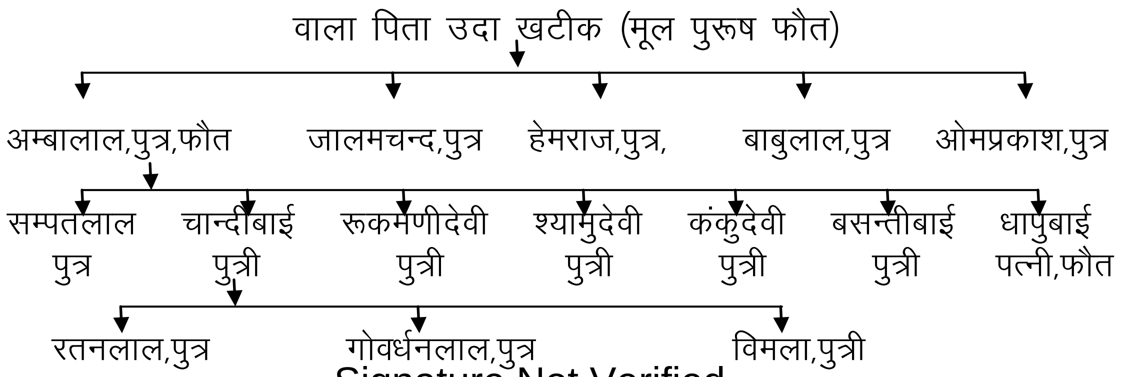

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 15:31:34 IST
Reason: SelfAttested

उक्त वर्णित सजरे अनुसार मूल पुरूष वालाजी थे जिनके पांच पुत्र अम्बालाल, जालमचन्द, हेमराज, बाबूलाल, ओमप्रकाश हुवे। अम्बालाल का निधन हो चुका है जिनके वारिस एक पुत्र सम्पतलाल, पांच पुत्रीयां चांदीबाई, रूकमणीदेवी, श्यामुदेवी, कंकूदेवी, बसन्तीबाई है एवं पत्नी धापूबाई थी जिसका निधन हो चुका हैं। अम्बालाल जी की पुत्री चान्दीबाई का निधन हो चुका है जिनके विधिक वारिसान वादी संख्या 1 से 3 हैं। अम्बालालजी के सभी जीवित वारिसानों को पक्षकार मुकदमा बनाया गया हैं।

2. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात भूमि पूर्व की राजस्व जमाबन्दी में हमारे मौरूस वाला पिता उदा जी खटीक के नाम पर दर्ज थी तथा वालाजी खटीक के निधनोपरान्त वालाजी के नाम दर्ज कुलिया भूमि विरासत के नामान्तरकरण के जरिए सम्पतलाल पिता अम्बालाल, धापू बेवा अम्बालाल तथा जालमचन्द, हेमराज, बाबुलाल, ओमप्रकाश पिता वाला खटीक के नाम पर विरासत से अंकित हुई है जो कृषि भूमि हम वादी संख्या 1 से 3 की माता चान्दीबाई एवं वादी संख्या 4 से 7 की पैतृक सम्पत्ति हैं।

3. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात में हमारे मौरूस वाला जी खटीक के नाम दर्ज भूमि को उनके स्वर्गीय पुत्र अम्बालाल के पुत्र–पत्नी अर्थात वादी संख्या 1 से 3 के मामा तथा प्रतिवादी संख्या 4 से 7 के भाई प्रतिवादी संख्या 1 एवं नानी धापूबाई ने वालाजी के देहावसान के पश्चात् राजस्व अधिकारीयों से मिलीभगत कर अम्बालाल जी की पुत्रीयों अर्थात वादी संख्या 1 से 3 की माता चान्दीबाई एवं वादी संख्या 4 से 7 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही करा मूल पुरुष अम्बालाल जी के सम्पूर्ण हिस्से को अपने नाम ही अंकन करवा दिया जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नही हैं। जबकि वादी संख्या 1 से 3 की माता चान्दीबाई एवं वादी संख्या 4 से 7 स्वर्गीय अम्बालाल जी की जायन्दा पुत्रीयां होकर उनकी विधिक वारिस है और मौके पर अम्बालालजी के जीवनकाल में उनकी बेटिया अर्थात वादी संख्या 1 से 3 की माता चान्दीबाई एवं वादी संख्या 4 से 7 का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग अपने–अपने हिस्सेनुसार चला आया तथा वादी संख्या 1 से 3 की माता चान्दीबाई की मृत्यु उपरान्त उनके हिस्से की भूमि पर वादी संख्या 1 से 3 एवं वादी संख्या 4 से 7 अपने–अपने हिस्सेनुसार काबिज हो काश्त कर रहे है। लेकिन वर्तमान में वादी संख्या 1 से 3 की माता चान्दीबाई के हिस्से की भूमि पर वादी संख्या 4 से 7 के हिस्से की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Runadia
Date: 2026.02.10 15:31:34 IST
Reason: SelfAttested

भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज हैं और प्रतिवादी संख्या 1 इसका नाजायज फायदा उठाकर लोभ लालच की भावना से वशीभूत होकर अपने नाम दर्ज सम्पूर्ण भूमि को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने पर उतारू हो रहा है और उक्त हमारे कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में भी निरन्तर दखलन्दाजी कर रहा है और येनकेन प्रकारेण हम वादीगण को हमारे हिस्से कब्जे की भूमि से बेदखल कर कब्जा करने के प्रयास कर रहा हैं। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। वादी संख्या 1 से 3 की माता चान्दीबाई एवं वादी संख्या 4 से 7 ने अपने जीवनकाल में ही अपनी पैतृक कृषि भूमियों में अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा कराने हेतु संयुक्त रूप से न्यायालय उप जिला कलक्टर महोदय, मावली में एक वाद अन्तर्गत धारा 53–88–188 राज०टि०एक्ट के तहत प्रस्तुत किया था जिसके प्रकरण संख्या 209/2007 (वाद) है। उक्त दावे को माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार कर दिनांक 29.02. 2008 को डिक्री फरमाकर वादी संख्या 1 से 3 की माता चान्दीबाई एवं वादी संख्या 4 से 7 को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया तथा तत्पश्चात् माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार पालना करते हुए वादी संख्या 1 से 3 की माता चान्दीबाई एवं वादी संख्या 4 से 7 के नाम भी खातेदार काश्तकार के रूप में रेवेन्यु रेकर्ड में दर्ज कर दिये गये। किन्तु उस प्रकरण में वाद वर्णित भूमियां सेहवन से सम्मिलित किया जाना रह गई जिससे वाद वर्णित कृषि भूमि में वादी संख्या 1 से 3 की माता चान्दीबाई एवं वादी संख्या 4 से 7 के नाम वास्तविक हिस्सेनुसार दर्ज नहीं हो पाये, केवल वादी संख्या 1 से 3 की माता चान्दीबाई एवं वादी संख्या 4 से 7 की माता धापूबाई के निधन होने पर उनके हिस्से की भूमि सभी वारिसानों के नाम पर विरासत से दर्ज हुई है। इसलिये हम वादीगण उक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित भूमि में वादी संख्या 1 से 3 के नाम संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा एवं वादी संख्या 4 से 7 प्रत्येक के नाम 1/6 हिस्सेनुसार भूमि की घोषणा करा राजस्व रेकर्ड में अपने नाम पर खातेदारी हक से दर्ज कराने के अधिकारी है।

4. यह कि हम वादीगण का प्रथम दृष्टया मामला हैं। क्योंकि वाद में उक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित कृषि भूमि वादी संख्या 1 से 3 की माता चान्दीबाई एवं वादी संख्या 4 से 7 की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें हमारी माता को जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो गये तथा वर्तमान में वादी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Puhadia
Date: 2026.02.10 15:31:34 IST
Reason: SelfAttested

1 से 3 की माता चान्दीबाई एवं वादी संख्या 4 से 7 से प्राप्त हुई भूमि पर साधिकार शांतिपूर्वक काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं तथा माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पैतृक कृषि भूमियों में वादी संख्या 1 से 3 की माता चान्दीबाई एवं वादी संख्या 4 से 7 को खातेदार घोषित किया गया हैं। लेकिन उक्त कृषि भूमि में निहित हमारा हिस्सा हमारे नाम पर दर्ज नही होने से प्रतिवादी संख्या 1 हमको हमारे हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करने में रूकावट पैदा कर रहा है और अपने नाम दर्ज कुलिया जमीन अन्य को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने की धमकीया दे रहा है और हमारे हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर उतारू हो रहे है। इसलिये हम वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी हैं कि प्रतिवादी संख्या 1 हम वादीगण को हमारे हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, अन्य को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नही करे, बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, भूमि की किस्म परिवर्तन नही करें, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने किसी नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें, मौके व रेकर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें। साथ ही प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 को भी पाबन्द किया जावें कि वे उक्त कृषि भूमि से संबंधित किसी प्रकार के दस्तावेज का पंजीयन नहीं करे, नामान्तरकरण नही खोले, किस्म परिवर्तन नहीं करें, रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है बल्कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से हम वादीगण को भारी क्षति होगी जिसका मूल्याकंन रूपयों पैसो में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी हम वादीगण के पक्ष में है।

5. यह कि हम वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध वाद कारण दिनांक 15.10.2022 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 मौके पर आया और धमकी दी कि ये जमीन मेरे नाम पर है, तुम इस जमीन से अपना कब्जा हटा लेना वरना जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर बेदखल कर दूंगा। तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

6. अंत में निवेदन किया की हम वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री जारी फरमाई जावे कि उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में वादी संख्या 1 से 3 को संयुक्त रूप से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Pipadia
Date: 2026.02.10 15:31:34 IST
Reason: SelfAttested

1/6 हिस्सेनुसार एवं वादी संख्या 4 से 7 प्रत्येक को 1/6 हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर इसी अनुसार हम वादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड खेवट खतौनी जमाबंदी में अंकन कराया जावें। हम वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि प्रतिवादी संख्या 1 उक्त वर्णित आराजीयात में वादीगण को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, वादीगण को बेदखल नही करे, कब्जा नहीं करे, किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, प्रतिवादी संख्या 1 अपने नाम दर्ज हक हिस्से को रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नही करें, भूमि की किस्म परिवर्तित नही करावें, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावें, राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें। प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 को पाबन्द किया जावें कि वे ताफैसला मूल वाद उक्त भूमि से संबंधित कोई दस्तावेज पंजीयन नहीं करे, राजस्व रेकर्ड में कोई परिवर्तन नही करे, किस्म परिवर्तित नही करे, राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से जवाब पेश नही करना चाहा। साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई। साक्ष्यवादी गवाह पी.डब्ल्यू 1 कंकुदेवी पुत्री अम्बालाल, रूकमणी देवी पुत्री अम्बालाल, श्यामुदेवी पुत्री अम्बालाल के मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए। गवाह पी.डब्ल्यू 1 कंकुदेवी पुत्री अम्बालाल द्वारा दस्तावेज मौजा सनवाड की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 1352 प्रदर्श 1, खाता संख्या 1347 प्रदर्श 2, खाता संख्या 1348 प्रर्क्स 3, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली के प्रकरण संख्या 209/07 वाद चांदीबाई बनाम घापुबाई में निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.02.2008 की सत्यप्रतिलिपि पेज 1 से 9 प्रदर्श 4, मौजा सनवाड की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2052–55 प्रदर्श 5, जमाबन्दी सम्वत् 2052–55 प्रर्दा 6, जमाबन्दी नकल सम्वत् 2048–51 प्रदर्श 7 करवाए गए।

8. अधिवक्ता वादीगण की एकतरफा दावा बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण द्वारा वाद पत्र के तथ्यो को दौहराते [illegible] के वाद पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 15:31:34 IST
Reason: SelfAttested

9. हमने अधिवक्ता वादीगण की एकतरफा बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की ग्राम सनवाड पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2052–55 के खाता संख्या 131 पर दर्ज आराजी नम्बर 935 रकबा 11 बिस्वा भूमि वाला पिता उदा खटीक के नाम दर्ज थी। जो जमाबंदी पर अंकित नोट अनुसार विरासत के नामान्तरकरण संख्या 1785 द्वारा वाला पिता उदा के बजाय संपतलाल पिता अम्बालाल, धापु बाई बेवा अम्बालाल 1/5, जालमचन्द, हेमराज, बाबुलाल, ओमप्रकाश पिता वाला 4/5 हि.ब. दर्ज करने की स्वीकृति हुई। इस प्रकार खाता संख्या 130/1 पर दर्ज आराजी नम्बर 983 रकबा 4 बिस्वा भूमि वाला पिता उदा के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज थी। जो जमाबंदी पर अंकित नोट अनुसार विरासत के नामान्तरकरण संख्या 1785 द्वारा वाला पिता उदा के बजाय संपतलाल पिता अम्बालाल, धापु बाई बेवा अम्बालाल 1/10, जालमचन्द, हेमराज, बाबुलाल, ओमप्रकाश पिता वाला 2/5 हि.ब. दर्ज करने की स्वीकृति हुई। इसी प्रकार ग्राम सनवाड की नकल जमाबंदी संवत 2048–51 के खाता संख्या 73 पर दर्ज आराजी नम्बर 946 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि अम्बालाल पिता वालू के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज थी। जो जमाबंदी पर अंकित नोट अनुसार विरासत के नामान्तरकरण संख्या 1639 द्वारा अम्बालाल पिता वालू के बजाय संपतलाल पिता अम्बालाल, धापु बाई बेवा अम्बालाल 1/2 हि.ब. दर्ज करने की स्वीकृति हुई।

ग्राम सनवाड की नकल जमाबंदी संवत 2068–71 के खाता संख्या 1355 पर दर्ज आराजी नम्बर 983 रकबा 4 बिस्वा भूमि धापुबाई बेवा अम्बालाल के नाम 1/20 हिस्से से दर्ज थी, जो जमाबंदी पर अंकित विरासत के नामान्तरकरण संख्या 4711 दिनांक 24.04.2015 से धापुबाई बेवा अम्बालाल 1/20 के बजाय सम्पतलाल, चांदीबाई, रूकमणी देवी, श्यामुदेवी, कंकुदेवी, बंसतीदेवी पिता अम्बालाल 1/20 हि.ब. के नाम दर्ज हुई। इसी प्रकार खाता संख्या 1349 पर दर्ज आराजी नम्बर 946 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि धापुबाई बेवा अम्बालाल के नाम 33/128 हिस्से से दर्ज थी, जो जमाबंदी पर अंकित विरासत के नामान्तरकरण संख्या 4711 दिनांक 24.04.2015 से धापुबाई बेवा अम्बालाल 33/128 के बजाय सम्पतलाल, चांदीबाई, रूकमणी देवी, श्यामुदेवी, कंकुदेवी, बंसतीदेवी पिता अम्बालाल 33/128 हि.ब. के नाम दर्ज हुई। इसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 15:31:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रकार खाता संख्या 1352 पर दर्ज आराजी नम्बर 935 रकबा 11 बिस्वा भूमि धापुबाई बेवा अम्बालाल के नाम 1/10 हिस्से से दर्ज थी, जो जमाबंदी पर अंकित विरासत के नामान्तरकरण संख्या 4711 दिनांक 24.04.2015 से धापुबाई बेवा अम्बालाल 1/10 के बजाय सम्पतलाल, चांदीबाई, रूकमणी देवी, श्यामुदेवी, कंकुदेवी, बंसतीदेवी पिता अम्बालाल 1/10 हि.ब. के नाम दर्ज हुई।

ग्राम सनवाड की हाल नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 1348 पर दर्ज आराजी नम्बर 946 रकबा 0.2590 हैक्टयर भूमि वादी संख्या 1 से 3 की माता चांदीबाई के नाम 11/256 हिस्से से, वादी संख्या 4 से 7 प्रत्येक के नाम 11/256 हिस्से से एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 77/256 हिस्से से दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 1347 पर दर्ज आराजी नम्बर 935 रकबा 0.0890 हैक्टेयर भूमि वादी संख्या 1 से 3 की माता चांदीबाई के नाम 1/60 हिस्से से, वादी संख्या 4 से 7 प्रत्येक के नाम 1/60 हिस्से से एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 7/60 हिस्से से दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 1352 पर दर्ज आराजी नम्बर 983 रकबा 0.0324 हैक्टयर भूमि वादी संख्या 1 से 3 की माता चांदीबाई के नाम 1/120 हिस्से से, वादी संख्या 4 से 7 प्रत्येक के नाम 1/120 हिस्से से एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 7/120 हिस्से से दर्ज है।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण के दादा वाला के निधन से पूर्व प्रार्थीगण के पिता का निधन हो गया था। जिससे विरासत का नामान्तकरण पारित करते समय प्रार्थीगण का नाम दर्ज नही कर वादग्रस्त भूमि केवल मात्र प्रार्थीगण के भाई प्रतिवादी संख्या 1 एवं उनकी माता धापु बाई के नाम दर्ज कर दी गई। प्रकरण में यह साबित होना आवश्यक है कि प्रार्थीगण अम्बालाल के वारिसान ही है या नही? इसके संबंध प्रार्थीगण द्वारा वाद पत्र के कलम संख्या 2 में खानदान सजरा अंकित किया है। जिसके अनुसार अम्बालाल के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1, वादी संख्या 4 से 7 तथा वादी संख्या 1 से 3 की माता चांदीबाई है। चान्दीबाई का निधन हो जाने से उसके वारिसान वादी संख्या 1 से 3 है। वाद पत्र के समर्थन में वादीगण द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। साथ ही जमाबंदी संवत 2068 से 71 के खाता संख्या 1355, 1349, 1362 पर अंकित नोट विरासत के नामान्तरकरण संख्या 4711 के अनुसार धापु का निधन हो जाने से विरासत से वादी संख्या 1 से 3 माता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Pundia
Date: 2026.02.10 15:31:34 IST
Reason: SelfAttested

चान्दीबाई, वादी संख्या 4 से 7 एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की गई। इससे साबित होता है कि अम्बालाल के 5 पुत्रियां एवं 1 पुत्र था। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि राजस्व कर्मचारियो द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मौरूस का विरासत का नामान्तकरण पारित करते समय पुत्रियों के नाम का अंकन उनके पिता की भूमि में नही किया गया। जबकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत मृतक खातेदार के प्रथम श्रेणी के सभी वारिसान के नाम भूमि दर्ज होनी चाहिए थी। अर्थात पुत्र एवं पुत्रियों के समान हक से दर्ज होना चाहिए। राजस्व कर्मचारियो द्वारा पुत्रियों का नाम अंकन नही कर भारी भूल की है। जो वादीगण के हक हिस्से पर कठुराघात किया जाना प्रतीत होता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम सनवाड पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 1348 पर दर्ज आराजी नम्बर 946 रकबा 0.2590 हैक्टयर भूमि वादी संख्या 1 से 3 की माता चांदीबाई के नाम 11/256 हिस्से से, वादी संख्या 4 से 7 प्रत्येक के नाम 11/256–11/256 हिस्से से एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 77/256 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादी संख्या 1 से 3 को संयुक्त रूप से 11/128, वादी संख्या 4 से 7 प्रत्येक को 11/128–11/128 एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 11/128 हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है।

इसी प्रकार खाता संख्या 1347 पर दर्ज आराजी नम्बर 935 रकबा 0.0890 हैक्टेयर भूमि वादी संख्या 1 से 3 की माता चांदीबाई के नाम 1/60 हिस्से से, वादी संख्या 4 से 7 प्रत्येक के नाम 1/60–1/60 हिस्से से एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 7/60 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादी संख्या 1 से 3 को संयुक्त रूप से 1/30, वादी संख्या 4 से 7 प्रत्येक को 1/30–1/30 एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 1/30 हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 15:31:34 IST
Reason: SelfAttested

इसी प्रकार खाता संख्या 1352 पर दर्ज आराजी नम्बर 983 रकबा 0.0324 हैक्टेयर भूमि वादी संख्या 1 से 3 की माता चांदीबाई के नाम 1/120 हिस्से से, वादी संख्या 4 से 7 प्रत्येक के नाम 1/120–1/120 हिस्से से एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 7/120 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादी संख्या 1 से 3 को संयुक्त रूप से 1/60, वादी संख्या 4 से 7 प्रत्येक को 1/60–1/60 एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 1/60 हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2026 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 15:31:34 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मावली
बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. रतनलाल माता स्व० चांदीबाई (पिता जगदीश जी) जाति खटीक, उम्र वयस्क, निवासी घोसुण्डा, जिला चित्तौडगढ़ (राज०)
2. गोवर्धन लाल माता स्व० चांदीबाई (पिता जगदीश जी) जाति खटीक, उम्र वयस्क, निवासी घोसुण्डा, जिला चित्तौडगढ़ (राज०)
3. विमला माता स्व० चांदीबाई (पिता जगदीश जी) पत्नी लक्ष्मीनारायण जी जाति खटीक, उम्र वयस्क, निवासी घोसुण्डा, हाल भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला चित्तौडगढ़ (राज०)
4. कंकूदेवी पुत्री अम्बालाल जी पत्नी ओमप्रकाश जी जाति खटीक, उम्र वयस्क, निवासी कपासन, जिला चित्तौडगढ़ (राज०)
5. बसन्तीदेवी पुत्री अम्बालाल जी पत्नी सुरेश जी जाति खटीक, उम्र वयस्क, निवासी मातृ कुण्डियां, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज०)
6. रूकमणीदेवी पुत्री अम्बालाल जी पत्नी सुरेश जी जाति खटीक, उम्र वयस्क, निवासी आकोला, हाल फतहनगर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. श्यामुदेवी पुत्री अम्बालाल जी पत्नी गणेश जी जाति खटीक, उम्र वयस्क, निवासी वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)

............वादीगण

बनाम्

1. सम्पतलाल पुत्र अम्बालाल जी जाति खटीक, उम्र वयस्क, निवासी सनवाड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. पटवारी, पटवार हल्का सनवाड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. उप पंजीयक अधिकारी, सनवाड़, तह०मावली, जिला उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 62/22 (वाद) GCMS No. – 2022/117

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

परिणामस्वरूप वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम सनवाड पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 13[illegible] र्ज आराजी नम्बर 946 रकबा 0. 2590 हैक्टयर भूमि वादी [illegible] 1 से 3 [illegible] माता चांदीबाई के नाम 11/256

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 15:31:34 IST
Reason: SelfAttested

हिस्से से, वादी संख्या 4 से 7 प्रत्येक के नाम 11/256–11/256 हिस्से से एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 77/256 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादी संख्या 1 से 3 को संयुक्त रूप से 11/128, वादी संख्या 4 से 7 प्रत्येक को 11/128–11/128 एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 11/128 हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है।

इसी प्रकार खाता संख्या 1347 पर दर्ज आराजी नम्बर 935 रकबा 0.0890 हैक्टेयर भूमि वादी संख्या 1 से 3 की माता चांदीबाई के नाम 1/60 हिस्से से, वादी संख्या 4 से 7 प्रत्येक के नाम 1/60–1/60 हिस्से से एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 7/60 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादी संख्या 1 से 3 को संयुक्त रूप से 1/30, वादी संख्या 4 से 7 प्रत्येक को 1/30–1/30 एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 1/30 हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है।

इसी प्रकार खाता संख्या 1352 पर दर्ज आराजी नम्बर 983 रकबा 0.0324 हैक्टेयर भूमि वादी संख्या 1 से 3 की माता चांदीबाई के नाम 1/120 हिस्से से, वादी संख्या 4 से 7 प्रत्येक के नाम 1/120–1/120 हिस्से से एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 7/120 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादी संख्या 1 से 3 को संयुक्त रूप से 1/60, वादी संख्या 4 से 7 प्रत्येक को 1/60–1/60 एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 1/60 हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 06.01.2026 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 15:31:34 IST
Reason: SelfAttested